APP-A
Crim-1

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोटा

पुष्पा देवी बनाम लक्ष्मी वर्मा

किस्म मुकदमा भरण पोषण अधिनियम नं. 71 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/8/25	पत्रावली ओदश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 1 नियम 10 सीपीसी वास्ते पेश हुई। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया ने माननीय न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष में संशोधन किया जाना न्यायहित में आवश्यक हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया को अप्रार्थीया से अनुतोष के रूप में 30,000/– रूपये प्रतिमाह दिलाने एवं किराये की राशि नल बिजली बिल इत्यादि दिलवाये जाने का अनुतोष के स्थान पर संशोधित किये जाने की अनुमति प्रदान करे। अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का जवाब प्रस्तुत करने बाबत र्प्याप्त अवसर दिये गये परन्तु अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत नही किया गया। प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र पर बहस नही की गई। अप्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया द्वारा प्रकरण में पुत्र की विधवा पुत्रवधु व नाबालिग पौत्रों को पक्षकार बना रखा है किंतु शेष 6 पुत्रियों को पक्षकार नही बनाया गया है अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण में प्रार्थीया पुष्पा देवी की 6 पुत्रियों को पक्षकार बनाये जाने के आदेश पारित फरमाने की कृपा करे। प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 1 नियम 10 सीपीसी का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया व उसके पति नन्दकिशोर की स्वअर्जित सम्पति म0न0 956 महावीर नगर III कोटा है जिसमें वह वृद्धावस्था और बीमारी की अवस्था में निवास कर रही है उक्त मकान का किराया ही एकमात्र सहारा है जिससे प्रार्थीया की आजिविका चलती है। अप्रार्थीया ने उक्त मकान के कमरों में कब्जा कर लिया है और शेष कमरों में किरायेदार नही रखने देती उनसे लड़ाई झगड़ा करती है, इस कारण प्रार्थीया व उसके पति के भूखो मरने की नौबत आ गई है। प्रार्थीया की पुत्रियॉ समय समय पर देखभाल करती है बल्कि भोजन दवाईयों का प्रबंध भी करती है। अतः प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। उक्त दोनो प्रार्थना पत्रों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत कर प्रार्थीया के अन्य विधिक वारिसानों को भी पक्षकार बनाने का निवेदन किया है तथा प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी प्रस्तुत कर अनुतोष में संशोधन बाबत निवेदन किया है। न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किये जाते है। पत्रावली संशोधित प्रार्थना पत्र वास्ते दिनांक .... को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कोटा	